भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1076
दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

लिंग निर्धारण

†1076. श्री अरुप चक्रवर्ती:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यह जानने के लिए कि प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण अभी भी देश में व्यापक रूप से प्रचलित तकनीक है या नहीं के सम्बन्ध में कोई उपाय किए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या उक्त तकनीक भी गर्भपात का कारण है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा उक्त कुप्रथा को समाप्त करने हेतु की गई पहलों और देश में यह सुविधा देने वाले चिकित्सा केंद्रों को दिए गए दण्ड का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख) भारत सरकार ने लिंग-संवेदनशील नीतियों, प्रावधानों और कानूनों के माध्यम से बालिकाओं के लिए एक सकारात्मक वातावरण बनाने हेतु जागरूकता पैदा करने और सहयोगी उपायों हेतु गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 अधिनियमित किया है।

पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के तहत लिंग-चयनात्मक गर्भपात संज्ञेय, गैर-जमानती और गैर-शमनीय अपराध है।

(ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देश भर में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 को लागू करता है। कुछ प्रमुख कार्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, मंत्रालय पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले ऑनलाइन विज्ञापनों की निगरानी और उन्हें हटाने में सहायता हेतु नोडल एजेंसी का गठन किया गया है।

- राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता एवं क्षमता निर्माण गतिविधियाँ नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

- व्यवहार परिवर्तन और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार(आईईसी) तथा सहयोगी गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।
- जन जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
- राज्यों के समन्वय से केंद्र द्वारा सामान्य समीक्षा मिशन के दौरे, राष्ट्रीय निरीक्षण एवं निगरानी समिति के दौरे जैसे विभिन्न संस्थागत तंत्रों के माध्यम से नियमित समीक्षा एवं मूल्यांकन किया जाता है।

पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम, 1994 के अनुसार, लागू दंडात्मक प्रावधान नीचे दिए गए हैं:

- धारा 22(3) गर्भधारण पूर्व या प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाती है; उल्लंघन पर तीन वर्ष तक की कैद और ₹10,000 तक का जुर्माना हो सकता है।

- धारा 23(1) में प्रावधान है कि अधिनियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी चिकित्सा पेशेवर या केंद्र (लिंग चयन/लिंग निर्धारण करने सहित) को पहली बार अपराध करने पर तीन साल तक की कैद और ₹10,000 तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, तथा बाद के अपराधों के लिए अधिक दंड का प्रावधान है, जिसमें पांच साल तक की कैद और ₹50,000 तक का जुर्माना शामिल है।
- धारा 23(2) में चिकित्सक का नाम राज्य चिकित्सा परिषद को रिपोर्ट करने का प्रावधान है, जिसके तहत आरोप तय होने पर निलंबन, दोषसिद्धि पर प्रथम अपराध के लिए पांच वर्ष के लिए निष्कासन तथा बाद के अपराधों के लिए स्थायी निष्कासन सहित कार्रवाई की जा सकती है।
- धारा 23(3) में लिंग चयन या प्रसवपूर्व निदान तकनीकों के अनधिकृत उपयोग की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पहली बार अपराध करने पर तीन साल तक की कैद और ₹50,000 तक का जुर्माना; बाद के अपराधों के लिए पांच साल तक की कैद और ₹1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- धारा 25 में अधिनियम/नियमों के अन्य उल्लंघनों के लिए तीन महीने तक के कारावास और ₹1,000 तक के जुर्माने तथा बार-बार अपराध करने पर दंड में वृद्धि का प्रावधान है।

*****